न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 88/2020 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0मा0 पुत्र स्व.श्री शेरसिंह यादव,निवासी 34 अल्कापुरी ए मुरलीपुरा जयपुर,

GCMS No-2020/00183

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
12.01.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 13.11.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि तहसीलदार खण्डार के कार्यालय पत्रांक एलआर/20/235 दिनांक 8.6.2020 मय संलग्नक की प्रमाणित प्रति। 2. यह है कि माननीय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के द्वारा तहसीलदार खण्डार को प्रेषित पत्रांक भू.अ./20/75 दिनांक 4.6.2020 की प्र0प्रति जो तहसील खण्डार मे उपलब्ध है। 3. यह है कि तहसीलदार खण्डार के नोटिस दिनांक 12.01.2018 जो अजीत शेखावत को प्रेषित शुद्वा पर आपत्तिकर्ता अजीत द्वारा प्रस्तुत जवाब–तहसीलदार खण्डार की प्र0प्रति। 4. यह है कि तहसीलदार खण्डार के उक्त पत्रांक एलआर/20/365 दिनांक 8.6.2020 की प्रति प्राप्त करने के लिए अजीत शेखावत पुत्र औनाड सिंह निवासी दौलतपुरा खण्डार द्वारा दिनांक 8.6.2020 से दिनांक 30.10.2020 तक एसपीआईओ एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर, उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार को प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्र0 प्रति या उक्त अजीत शेखावत द्वारा प्रस्तुत उपजिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर तथा तहसील कार्यालय खण्डार मे प्रस्तुत नकल आवेदन पत्र की प्र0प्रति मय दिनांक 8.6.2020 से 30.10.2020 तक नकल आवेदन रजिस्टर की उक्त दिनांक की प्रमाणित प्रति तथा इसी प्रकार प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)सवाईमाधोपुर व प्रतिलिपि शाखा कलेक्ट्रेट सवाईमाधोपुर मे उक्त पत्र दिनांक 8.6.2020 एलआर/20/365 तहसीलदार खण्डार की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत नकल आवेदन की प्र0प्रति आरटीआई की प्र0प्रति। 5. यह है कि ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार के खाता संख्या 348 वि0स0 2074–77 की ख0न0 799/503 एवं 800/503 की दिनांक 6.9.2018 से ख0 गिरदावरी की प्रमाणित प्रति दिनांक आज तक 13.11.2020 की प्र0प्रति मय खसरा परिवर्तनशील की प्र0 प्रति। (1) यह है कि तहसीलदार खण्डार को मु.न. 372/2020 अजीत बनाम संजय सिंह ने मा0 राजस्व मण्डल अजमेंर से प्राप्त नोटिस एवं स्थगन आदेश दिनांक 21.1.2020 की प्र0प्रति तथा उक्त मुकदमे की प्र0प्रति की मय प्राप्ति स्त्रोंत की जानकारी की प्र0प्रति। 6. यह है कि उक्त ख0न0 799/503 व 800/503 के सबंध में दिनांक 6.9.2018 से आज तक पटवारी/गिरदावर दौलतपुरा की रिपोर्ट एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा जारी 91 एलआर एक्ट के नोटिस एवं निर्णय की प्रमाणित प्रति मय पूर्ण पत्रावली की प्रति मय ख.न. परिवर्तनशील की प्रति। 7. यह है कि ख0न0172 रकबा 9.06 बीघा ग्राम दौलतपुरा के संबंध में गैर मुमकीन तालाब के अतिक्रमण बाबत दिनांक 1.9.2019 से आज दिन तक पटवारी/गिरदावर दौलतपुरा मण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा जारी 91 एलआर एक्ट के नोटिस एवं निर्णय मय पूर्ण पत्रावली की प्र0प्रति मय खसरा परिवर्तनशील की प्रति मय मौका रिपोर्ट दिनांक 4.4.2019 गिरदावर/पटवारी दौलतपुरा द्वारा जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय पत्रांक/समाधान/306/2019/913 दिनांक 18.3.2019 एवं 690 दिनांक 8.5.2019 एवं 10.07.2019 की प्रमाणित प्रति तथा उप जिला कलेक्टर खण्डार का पत्रांक 860 दिनांक 8.5.2019 एवं तहसीलदार खण्डार का पत्रांक 23.4.2019 की प्रमाणित प्रति तथा तहसीलदार खण्डार द्वारा दिनांक 10.7.2019 से आज दिन तक उक्त अतिक्रमण हटाने के संबंध में की कार्यवाही/पत्राचार की प्रमाणित प्रति तथा दिनांक 9.10.2019 को ख0न0 172 गै0मु0 तालाब की जमीन बाबत श्री देवी सिंह तहसीलदार स्वंय या गिरदावर/पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट/कार्यवाही मय दैनिक डायरी, तहसीलदार, खण्डार मय ... तक अवाप्ति वाहन तहसीलदार मय वाहन नम्बर मय चालक के नाम सहित प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक एफ.2(230)/सूकाअ/अपील/2020/18 दिनांक 05.01.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.2020 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ था जिसके बिन्दु संख्या 1 लगायत 7 मे चाही गयी सूचना उपखण्ड कार्यालय सवाईमाधोपुर/खण्डार/तहसीलदार खण्डार एव जिला कार्यालय के विभिन्न अनुभागो से संबंधित थी, जबकि जिले के सभी उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार अपने–अपने कार्यालय की सूचनाओं के लिए पृथक–पृथक रूप से लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है। इसलिए कार्यालय पत्रांक एफ.2(230)/सूकाअ/2020/3337 दिनांक 23.11.2020 से जरिये रजिस्टर्ड डाक से तत्समय ही मूल आवेदन पत्र मय आवेदन शुल्क अपीलान्ट को वापस भिजवाया जा चुका था। यह तर्क भी दिया कि माननीय राजस्थान सूचना आयोग जयपुर द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण संख्या 233/2016 बउनवानी किशोरी लाल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी,सचिव ग्राम पंचायत गोडावास, प.स. नीम का थाना जिला सीकर मे दिनांक 20.7.2016 को निर्णय पारित कर अपील इस प्रकार निर्णय पारित किया कि आलोच्य प्रकरण में विकास अधिकारी ने अपीलार्थी के सूचना के आवेदन को 41 राज्य लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर सूचना उपलब्ध कराने का जो आदेश दिया था वह विधि विरूद्व है। सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र केवल एक लोक सूचना अधिकारी को ही अन्तरित किया जा सकता है। अपीलार्थी से भी अपेक्षा की जाती है कि वह शीर्ष अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के बजाय संबंधित लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष ही आवेदन प्रस्तुत करे। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालय से सूचना चाही गयी थी इसलिए उक्त आवेदन पत्र अपीलान्ट को मूल ही वापस भिजवाया जाकर संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालयों मे पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु तत्समय लिखा जा चुका था। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.11.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 7 मे चाही गयी सूचना का संबंध विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालयो से संबंधित होने तथा आवेदन पत्र में यह स्पष्ट नही किया कि कौनसे बिन्दु की सूचना किस कार्यालय/अनुभाग से संबंध रखती है चाही गयी सूचना का स्पष्ट उल्लेख नही होने के कारण जिला कार्यालय की सूचना भी अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना संभव नही होने के कारण अपीलान्ट का उक्त प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक एफ.2(230)/सूकाअ/2020/3337 दिनांक 23.11.2020 से जरिये रजिस्टर्ड डाक तत्समय ही मूल आवेदन पत्र मय आवेदन शुल्क अपीलान्ट को वापस भिजवाया जा चुका था। जहॉ तक उक्त मूल आवेदन पत्र अपीलान्ट को 14 दिन बाद लोटाने के संबंध में लगाये गये आक्षेप का प्रश्न है तो अपीलान्ट का आवेदन पत्र 19.11.2020 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही करके दिनांक 23.11.2020 को डिस्पेच शाखा मे भिजवाया दिया गया था लेकिन डिस्पेच शाखा मे कार्यरत कर्मचारी दिनांक 25.11.2020 से 27.11.2020 तक आकस्मिक अवकाश पर रहने एवं दिनांक 28.11.2020 से 30.11.2020 तक राजकीय अवकाश होने के कारण उक्त पत्र की रजिस्ट्री दिनांक 1.12.2020 को (लगभग 8 दिन बाद)करवायी गयी है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा लगाया गया 14 दिवस की देरी का आक्षेप निराधार है। ऐसे ही एक अन्य प्रकरण में माननीय राजस्थान सूचना आयोग जयपुर द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण संख्या 233/2016 बउनवानी किशोरी लाल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी,सचिव ग्राम पंचायत गोडावास, प.स. नीम का थाना जिला सीकर मे दिनांक 20.7.2016 को पारित निर्णय के आलोक मे सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र केवल एक लोक सूचना अधिकारी को ही अन्तरित किया जा सकता है। अपीलान्ट के आवेदन पत्र मे विभिन्न लोक सूचना अधिकारियो की सूचना चाही गई है इसलिए अपीलान्ट से भी अपेक्षा की जाती है कि वह शीर्ष अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के बजाय संबंधित लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष ही आवेदन प्रस्तुत करे। एवं जिला कार्यालय की सूचना का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पुनः आवेदन करें। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर